[26/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 2676]

नियम एवं शर्ते

सामान्य नियम एवं शर्ते :–

1. म.प्र. मत्स्य महासंघ के अधीनस्थ इंदिरासागर जलाशय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत केज निर्माण तथा संचालन हेतु जलाशय में कार्यरत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के अनु.जाति तथा अनु.जनजाति वर्ग के पंजीकृत मछुआ सदस्य आवेदन कर सकते है।

2. इस कार्य में ऐसे व्यक्ति/मछुये आवेदन नहीं कर सकते हैं :–

 2.1 जिनके विरुद्ध मत्स्य महासंघ से संबंधित कोई विवाद/दावे पर न्यायालय से पारित आदेश का पालन लम्बित हो।

 2.2 जिसकी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने की अवधि आदेश दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत न हो पाई हो।

 2.3 जिन पर न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवसाय करने पर रोक लगाई हो।

 2.4 जिन्हें न्यायालयीन आदेश/निर्णय से दिवालिया घोषित किया गया हो।

 2.5 जिसने महासंघ से अनुबंध किया हो, अनुबंध खण्डन के परिणामी बकायादार हो।

 2.6 महासंघ द्वारा जिन्हें ब्लेक लिस्टेड किया गया हो या कार्य में भाग लेने/अनुबंध करने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो।

 2.7 अन्य ऐसा कोई कारण/निर्देश जिसके परिणामस्वरूप केज संचालन कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित किया हो।

3. केज आवंटन की प्रक्रिया :–

 3.1 प्राप्त आवेदनों का परीक्षण मत्स्य महासंघ द्वारा किया जावेगा। आवेदन तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जावेगा। तदोपरांत चयनित हितग्राहियों को जलाशयों में केज कल्चर (निर्माण एवं संचालन) हेतु सशर्त स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

 3.2 स्वीकृति पत्र आवेदनकर्ता को डाक से एवं ई–मेल से भेजा जावेगा। ई–मेल से भेजी गई सूचना आवेदक को प्राप्त हुई मानी जावेगी। सूचना भेजने के 15 दिवस के अंदर आवेदनकर्ता को केजों का निर्माण तथा संचालन हेतु अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध के समय केज किराया रू. 50/– प्रति घन मी./वर्ष के मान से जमा कराने के साथ ही आगामी वर्षो में भी इसी दर से प्रतिवर्ष अनुबंधानुसार तिथि पर अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

 3.3 उक्तानुसार अनुमति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में वार्षिक किराया राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादन नही करने की स्थिति में केज हेतु स्वीकृति पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। ऐसी स्थिति में उक्त केजों का आवंटन प्रतिक्षा सूची में से किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को किए जाने हेतु मत्स्य महासंघ स्वतंत्र होगा।

3.4 केजों का निर्माण (निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार) पूर्ण होने तथा संचालन आरंभ होने संबंधी सूचना/जानकारी हितग्राही द्वारा स्वयं महासंघ को दी जावेगी। तदोपरांत महासंघ की गठित समिति द्वारा उक्त कार्यो का सत्यापन किया जावेगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर हितग्राही द्वारा स्वसत्यापित देयक प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान किया जावेगा।

3.5 यदि संचालनकर्ता द्वारा निर्धारित संचालन अवधि के पूर्व ही संचालन कार्य छोड़ दिया जाता है या वार्षिक किराया राशि अग्रिम के रूप में जमा नहीं की जाती है तो अनुबंध निरस्त करते हुए आवेदक को जलाशय से निष्काषित कर अन्य माध्यम से केज का संचालन किया जा सकेगा।

संचालनकर्ता द्वारा आवंटित केजों को संचालन अवधि (7 वर्ष) में किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय/उपहार स्वरूप प्रदाय/हस्तांतरण या किराये पर नहीं दिया जाएगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उस दिनांक तक प्रदाय की गई केन्द्रीय सहायता राशि मय 12 प्रतिशत दण्ड ब्याज के वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

3.6 किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार तथा अनुबंध की शर्तो में संशोधन एवं नई शर्ते जोड़ने/पृथक करने हेतु प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ अधिकृत रहेगें।

3.7 हितग्राही को आवंटित केजों का निर्माण एन.एफ.डी.बी. पोर्टल में सूचीबद्ध संस्था से ही कराना होगा।

3.8 योजना के क्रियान्वन से संबंधित किसी भी प्रकरण/अस्पष्टता का निराकरण/समाधान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा–निर्देश के आधार पर किया जावेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय

मुख्य महाप्रबंधक